



# DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together  
And Achive Dream  
Together

# Dr Surendra Dhiwa

Educator

( Law | Public administration and management )

( Polity and IR | Audit and Accounting )



धारा 22 → एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध

- ✓ (1) एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ेगा
- (2) अगर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक सीटों से नामांकन करा तो उसे नामांकन वापस लेने की तारीख को शाम 3 बजे तक से पूर्व

✓ लिखित नोटिस द्वारा अपना नामांकन वापस लेना होगा  
 (एक सीट के छोड़कर जिस पर वह लड़ना चाहता है)

अगर ऐसा करने में असफल रहे पर भी यह माता जाएगा कि अपने सभी वार्डों से अपना नामांकन वापस ले लियेगा

धारा 23 ⇒ मान, ध्वनिविस्तार आदि के उपयोग पर युक्तियुक्त

निर्बंधन → राज्य निर्वाचन आयोग (reasonable)

निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति तक।

किस पर → उम्मीदवार तथा उसके अधिभूत अभिकर्ता (Agent) पर

किस-2 चीज पर → मान, ध्वनिविस्तार, बेंचर, टार्डिंग, फट आउट

उत्संघन पर जुर्माना → 5000 ₹

→ 6 वर्ष तक के लिए दण्ड्य होने जाने पर प्रतिबन्ध।

निर + अर्हता ⇒ निरर्हता ✓

धारा 24 → सदस्यों के लिए सामान्य निरर्हताएं (Disqualifications) ✓

(i) संसद न्यायालय द्वारा → अिदुदोष ठहराया जाता है ज्या 6 मार या 6 मार का  
कारावास

Note → कारावास से मुक्त होने पर 6 वर्ष बाद पर निरर्हता नहीं  
रहेगी।

(ii) इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन दोषी ठहराया जाए।

(iii)

5 वर्ष या अधिक सजा के विचारणीय मामले में  
भारोपों को विरचित फिर जाने पर

(iv) रणध अपमानन निवारण अधि. 1954 → के अधीन किसी  
अपराध हेतु सिद्धोप

(v) CrPC 1973 → की धारा 110 के अधीन कार्यवाही  
में CrPC की धारा 117 के आदेश  
पारित होने पर

(vi) केन्द्र/राज्य के अधीन कार्यरत → पदच्युत किए जाने पर

अवचार misconduct ✓

(vii) विवर्जित कारोबार करने की स्थिति में

(viii) लाभ का सफ़ धारण करने पर

(ix) धारा 35 तथा 41 के अधीन निरहित होने पर

(x) विधानसभा निर्वाचित के उपोपन हेतु नियमों के निरहित होने पर

(xi) राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधीन →  
वैतनिक / भारतकालिक नियुक्ति धारण करता है

(xii) कोई व्यक्ति विरव विद्यालय, उद्यम, निकाय, नटकारी  
सोसायटी आदि के अधीन वैतनिक / भारतकालिक  
नियुक्ति धारण करता है

(xiii) दिनांकिया



(xiv) → विस्तृत ✓

(xv) → द्वि रकते की प्रति में (प्र पक्ष / अप्र पक्ष)

(xvi) नगरपालिका का विधि व्यवहार

के लिए पैरवी / के विरुद्ध पैरवी

(xvii) दो संज्ञान के आधिक होने पर (27 मॉ 1995)

(xviii) नगरपालिका शोध प कराया होने पर (दो से आधिक वर्ष होने पर)

(Dues)

⊕ वसूली प्रक्रिया प्रांश हो गई है

(xix) → • आयाम्य ने सिद्ध दोष हराया

↓  
नगरपालिका की संपत्ति/निधि  
का दुर्विनियोग/ गवर्न काने हेतु

धारा 25 → मतदान का अधिकार →

- उम्मेद्वर चयन को → मत का अधिकार → उसी वार्ड में जिसकी  
निर्वाचक नामावली में उसका  
नाम हो।
- धारा 14 के अर्थानुसार निर्दिष्ट है तो मतदान का अधिकार नहीं होगा।
- एक से अधिक वार्ड में मतदान करने पर ⇒ समस्त वोट खारिज होंगे।
- एक वार्ड में एक से अधिक मत ⇒ तो भी खारेज वोट खारिज होंगे।

# preventive detention निवारक निरोध

↓  
ही स्थिति में सरकार कर सकता है

→ जेल / पुलिस कस्टडी ही स्थिति में सरकार नहीं करेगा।

↓  
Judicial कस्टडी  
(विधिपूर्वक प्रचिरक्ष)

धारा 26 ⇒ निर्वाचन में मत देने की रीति →

- ① मतपत्र ले ✓
- ② proxy का प्रयोग X
- ③ एक से अधिक मत देने की सही मत सूची
- ④ मतदाता EVM ले ( तय करेंगे ! ⇒ सर्वप्रथम निर्वाचन प्रयोग )  
के द्वारा

**धारा 27** → आरुस्थिक रिक्ति किस प्रकार भरी जाएगी

- ① उपनिर्वाचित द्वारा
- ② नवनिर्वाचित सदस्य का कार्यकाल → शेष कार्यकाल हेतु
- ③ आरक्षित सीट रिक्त होने पर ⇒ पुनः आरक्षित ही चुना जाएगा  
(SC/ST/OBC/महिला)
- ④ राज्य सरकार के निर्देश पर

अध्यासी  
→ 6 माह

6 माह से कम समय शेष होने पर पुनः निर्वाचन आवश्यक नहीं है





























# THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

[www.drgenius.academy.com](http://www.drgenius.academy.com)

